CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

E-mail : perdiv.cwhc@nic.in
Tel – 011- 26515178
Fax – 011 - 26967256

CO.: 4/1,Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Hauz Khas,
New Delhi-110016.

No. CWC/1-Promotion/Policy/Rectt./2013-14 June 16, 2015

CIRCULAR

Govt. of India (DoPT) vide its OM dated 28.5.2014 has issued instructions regarding determination of crucial date of eligibility for promotion to various posts applicable from financial year 2015-16. According to the instructions the crucial date of eligibility for promotion shall be 1st of April of the vacancy year where the Annual Performance Appraisal report are written financial year wise. As per requirement of 21st amendment of CWC (Staff) Regulations, 1986, the promotion in respect of selection posts specified in the Staff Regulations (Appendix-II) shall be made mutatis mutandis as per procedure prescribed in the instructions issued by Central Government from time to time after their adoption by the Board of Directors. With the approval of the Board of Directors in its meeting held on 4.6.2015, it has been decided to adopt the crucial date of eligibility for promotion to all the posts as 1st of April from the vacancy year 2015-16 and onwards. It has also been decided that ACRs of all Group C&D staff will also be written financial year wise from 2015-16 and onwards. The ACRs of Group C&D staff closed on December 2014 would be treated for 15 months i.e. upto March, 2015 to bring uniformity in the system. The APRs of Group-'A' & 'B' officials are already being written financial year wise.

(S.Narayan)
Dy.General Manager (Pers.)

(**Authority**, Agenda Item No.27 of 315th Meeting of BoD held on 4.6.2015.)

Circulation to:

1. All HODs, CWC, CO, New Delhi
2. All RMs/SEs/EEs/ROs/CCs, CWC – For further Circulation .

Copy to:

1. PPS to Chairman/MD/SAM to Dir(Pers.)/AM to Dir(Fin.)/PS to CVO, CWC, CO, New Delhi.
2. Secy.General, Federation of CWCEU, CWC, New Delhi.
3. GM(System), CWC, CO, New Delhi – With the request to upload the Circular on CWC website.
4. Guard file

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

ई–मेल: perdiv.cwhc@nic.in
टेलीफोन: 011–26515178,
फैक्स– 011–26967256

निगमित कार्यालय : 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास,
नई दिल्ली–110 016

सं0 सीडब्ल्यूसी/।–प्रोमोशन/पॉलिसी/रिक्रूट/.2013–14 — 16 जून, 2015 (18)

परिपत्र

भारत सरकार (डीओपीटी) ने वित्तीय वर्ष 2015–16 से विभिन्न पदों के लिए लागू पदोन्नति हेतु पात्रता की निर्णायक तिथि के निर्धारण के संबंध में दिनांक 28.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुदेश जारी किए हैं । अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्रता की निर्णायक तिथि रिक्ति वर्ष की 01 अप्रैल को होगी जिसमें वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के अनुसार लिखी जाती है । केन्द्रीय भंडारणं निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के 21वें संशोधन की अपेक्षाओं के अनुसार कर्मचारी विनियम (परिशिष्ट–।।) में निर्धारित चयनित पदों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों में निर्धारित प्रक्रिया तथा उसे निदेशक मंडल द्वारा अपनाए जाने के बाद यथोचित परिवर्तन के साथ पदोन्नति की जाती है । दिनांक 04.06.15 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ यह निर्णय लिया गया कि सभी पदों के लिए पदोन्नति हेतु पात्रता की तिथि रिक्ति वर्ष 2015–16 तथा उससे आगे 01 अप्रैल रखी जाए । यह भी निर्णय लिया गया कि समूह ग एवं घ के सभी कर्मचारियों की एसीआर भी वर्ष 2015–16 तथा उससे आगे वित्तीय वर्ष के अनुसार लिखी जाए । समूह ग एवं घ के कर्मचारियों की एसीआर दिसंबर, 2014 में बंद कर दी गई थी जिसे सिस्टम में एकरूपता लाने के लिए 15 महीनों यानि मार्च, 2015 तक समझा जाएगा । समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों की एसीआर पहले ही वित्तीय वर्ष के अनुसार लिखी जा रही है ।

एस नारायण 18/6/15

(एस. नारायण)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

(**अथॉरिटी**, दिनांक 04.06.2015 को आयोजित निदेशक मंडल की 315वीं बैठक की कार्यसूची मद सं0 27)

वितरण:

1. सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
2. सभी क्षे.प्र./एसई/ईई/आर.ओ/सी.सी.,केभनि – आगे परिचालित हेतु ।

प्रतिलिपि:–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के प्रधान निजी सचिव/निदेशक(कार्मिक) के व.स.प्र./ निदेशक (वित्त) के स.प्र./मुख्य सर्तकता अधिकारी के निजी सचिव केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
2. महासचिव, सीडब्ल्यूसी कर्मचारी यूनियन की फैडरेशन, केभनि, नई दिल्ली ।
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली – केभनि की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध सहित।
4. गार्ड फाइल ।